



UPCH010012922026

न्यायालय- सत्र न्यायाधीश, चित्रकूट
द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र सं०-534/2026

दीपक गुरु पुत्र रामफल, निवासी- कछारपुरवा, थाना- कोतवाली कर्वी, जनपद-
चित्रकूट।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन

मु० अ० सं०-82/2026

धारा-331(4),305,317(2),317(4) बी.एन.एस

(पुरानी धारा- 457,380,411,413 भा० दं० सं०)

व धारा- 3/25 आयुध अधिनियम

थाना- कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट।

निस्तारण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र

01.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त दीपक गुरु की ओर से मु० अ० सं०- 82/2026 अन्तर्गत धारा- 331(4), 305, 317(2), 317(4) बी.एन.एस. (पुरानी धारा- 457, 380, 411, 413 भा० दं० सं०) व धारा- 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदनपत्र शपथपत्र 4 ख से समर्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवेदनपत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को निरस्त किया जा चुका है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में

लम्बित नहीं है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र कुमार सोनी की ओर से दिनांक 13.02.2026 को थाना कर्वी जनपद चित्रकूट में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी ज्वैलरी की दुकान है, जो घनश्याम ज्वैलर्स के नाम से खोही स्थित शिवरामपुर मार्ग में है और जब वह वहाँ गया तो पाया कि उसकी दुकान के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और उसकी दुकान से लगभग 600 ग्राम चांदी का जेवर, 20 ग्राम सोने का जेवर व 3500/-रूपये चोरी हो गया। अतः अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 26.02.2026 को करीब 4.00 बजे दिन आचारी मंदिर चित्रकूट के सामने रोड से पुलिस पकड़कर ले गयी और शिवरामपुर चौकी थाना कर्वी में दो दिन तक बैठाये रही। पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के घर व ससुराल से रूपया व चांदी के जेवरात को लाया गया और फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठा चालान किया गया है। बरामद जेवरात व रूपया चोरी का नहीं है बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त के घर व रिश्तेदारों का हैं। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद नहीं है। अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4. अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त शातिर अभ्यस्त चोर है। उसने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर से सोने चाँदी के जेवरात व 3500/- रूपये की चोरी किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा जमानत का कोई समुचित आधार नहीं है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केसडायरी एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ज्वैलरी की दुकान का ताला तोड़कर दुकान से लगभग 900 ग्राम चाँदी का जेवर, 20 ग्राम सोने का जेवर व 3500/-रुपये की चोरी किया जाना कहा गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह-अभियुक्त राजकुमार को पुलिस द्वारा दिनांक 01.03.2026 को गिरफ्तार किये जाने पर उनके कब्जे से प्रस्तुत प्रकरण की घटना एवं अन्य चोरी की घटनाओं से संबंधित प्रकरण मु.अ.सं. - 42/2026, मु.अ.सं.- 31/2026, मु.अ.सं.- 55/2026, मु.अ.सं.- 101/2026, मु.अ.सं.- 28/2026 के जेवरात व नकदी सफेद धातु की पायल चार जोड़ी, बिछुआ 02 नग, करधनी एक नग, सिक्के दो नग, बिछिया 18 नग, चेन एक नग कुल वजन 995 ग्राम एवं नकद 24000/- रुपये एवं आला नकब एक अदद लोहे की रॉड व एक अदद लोहे की हथौड़ी, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व तीन अदद कारतूस 315 बोर की बरामदगी होना कहा गया है। अभियुक्त ने बताया है कि वह सह-अभियुक्तगण राज कुमार एवं अवधेश श्रीवास के साथ मिलकर चोरी की घटनाएं की है। लोहे की रॉड, हथौड़ी, तमंचा के बारे में बताया कि वह लोग हथौड़ी व रॉड से घरों का ताला तोड़कर चोरी करते हैं तथा तमंचा व कारतूस डराने धमकाने के लिये अपने पास रखते हैं। अभियुक्त ने चोरी के शेष रूप्यों को खर्च हो जाना बताया है। अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त शातिर चोर है जो चोरी की घटनाएं करने का अभ्यस्त है। थाने की आख्या दिनांकित 29.05.2026 के अनुसार फर्द बरामदगी में उल्लिखित मु.अ.सं.- 42/2026, मु.अ.सं.- 31/2026, मु.अ.सं.- 101/2026, मु.अ.सं.- 55/2026 के अतिरिक्त मु.अ.सं. 418/2016, मु.अ.सं. 493/2019, मु.अ.सं. 19/2020, मु.अ.सं. 29/2020, मु.अ.सं. 224/2020, मु.अ.सं. 283/2020 व मु.अ.सं. 82/2026 में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना

बताया गया है। सह-अभियुक्त राज कुमार की जमानत विद्वान प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11.05.2026 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आक्षेपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है एवं प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त दीपक गुरु की ओर से मु0अ0सं0- 82/2026 अन्तर्गत धारा- 331(4), 305, 317(2), 317(4) बी.एन.एस (पुरानी धारा- 457, 380, 411, 413 भा0दं0सं0), व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

दिनांक- 01.06.2026

(शेष मणि)
सत्र न्यायाधीश,
चित्रकूट।
आई 0डी0 नं0-यू.पी. 5751